न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल , जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनिता मीणा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 92/2022 पुराना, 288/23 नया   दायर तारीख :– 18.10.2022

1. रामप्रसाद पुत्र मूला जाति अहीर निवासी करोडीवालो की ढाणी कोढी तहसील कि0 रेनवाल । प्रार्थी

बनाम

1. मूला पुत्र बोदू जाति कुम्हार
2. मुकेश पुत्र मूला जाति कुम्हार
3. छोटूराम पुत्र मूला जाति कुम्हार
   समस्त निवासी करोडीवालो की ढाणी कोढी तहसील कि0 रेनवाल
4. सावित्री पुत्री मूला पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी पानी वाली ढाणी पो0 बेगस वाया बगरू जिला जयपुर
5. मंजू पुत्री मूला पत्नि रमेश जाति कुम्हार निवासी पानी वाली ढाणी पो0 बेगस वाया बगरू जिला जयपुर
6. चन्दू पुत्री मूला पत्नि रामलाल जाति कुम्हार निवासी बबेरवालो की ढाणी जोबनेर जिला जयपुर राज0
7. तहसीलदार तहसील कि0 रेनवाल।
8. सब रजिस्ट्रार कि0 रेनवाल।

वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री लक्ष्मण सिंह , अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 27/6/25

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ल0 6 सयुंक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। जो कि स्व0 बोदू पुत्र सुखदेव के वंशज है जिनकी पारिवारिक वंशावली वाद में वर्णित है। आराजी खाता सख्या नया 31 व पुराना 29 की आराजी खसरा नम्बर 383 रकबा 0.0506 गै0मु0चाह हैक्टेयर, खसरा नम्बर 391 रकबा 3.4521 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 490/387 रकबा 0.2529 हैक्टैयर किता 3 कुल रकबा 3.7556 हैक्टेयर वाके ग्राम कोढी, पटवार हल्का ड्योढी भू0अ0नि0 भोजपुरा कला हाल भू0अ0नि0 भैसलाना तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में दर्ज है इसी प्रकार आराजी खाता संख्या नया 146 पुराना 141 के खसरा नम्बर 384 रकबा 1.58065 हैक्टेयर सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 के जमाबन्दी खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 को वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ल0 6 दादा स्व0 बोदू की विरासत प्राप्त हुई थी जिसमे वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ल0 6 अपने पिता प्रतिवादी सख्या 1 के साथ सयुंक्त रूप से काबिज काश्त है। इस प्रकार उक्त आराजी खाता संख्या 31 वादी संख्या 01 का वादी संख्या 1 का 1/14 प्रतिवादी सं0 2 लगायत 6 प्रत्येक का 1/14, 1/14 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/14 हिस्सा है व खाता संख्या 146 की आराजी में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ल0 06 प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी सं0 1 ल0 06 संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत् 06 की पुश्तैनी आराजीयात है। उक्त आराजी वादी की पुश्तैनी अराजी है जो प्रतिवादी सं 01 को स्व0 बोदू की विरासत से प्राप्त हुई है इस प्रकार उक्त आराजी में वादी का हिन्दू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ-रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान अनुसार स्व0 बोदू पुत्र सुखदेव के परिवार में जन्म लेते ही बाई बर्थ अधिकार उत्पन्न हो गये है। इस प्रकार उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ल0 6 , प्रतिवादी सं 01 के साथ काबिज काश्त होकर उसका उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 की आजकल मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को कुछ भू-माफिया लोगों द्वारा अपने बहकावे लिया हुआ तथा पुश्तैनी आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 से औन पौन दामो में लेकर भू-माफिया लोगों द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 02 लगयात 06 को उनके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमदा है। इसी आशय से दिनांक 18.09.22 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ कुछ भू-माफिया अजनबी व्यक्ति वादग्रस्त आराजीयात पर आये और प्रतिवादी संख्या 1से वादग्रस्त भूमि का बैचान का सौदा करने लगे तब वादी ने उनको ऐसा करने से मना किया ओर प्रतिवादी संख्या 01 को भी समझाया लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी को धमकी दी कि वह उक्त पुश्तैनी आराजीयात को भू-माफिया लोगो को बेचान करके वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ल0 06 को उनके कब्जे काश्त से बेदखल कर देगा। इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 06 बावजूद सूचना हाजिर नहीं हुये अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 फार्मल पार्टी है।

3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी खसरा नम्बर 384 प्रदर्श-1, जमाबन्दी संवत 2076 खसरा नम्ब 383,391 , 490/387 प्रदर्श-2, नामान्तरकण संख्या 48 प्रदर्श-3 , नामान्तकरण संख्या 48 के पीछे का भाग प्रदर्श-4, जमाबंदी खेवट खतौनी प्रदर्श-5, जमाबन्दी प्रदर्श-6, जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 प्रदर्श-7, जमाबन्दी सवंत 2032-2035 प्रदर्श- 8, पर्चा सेटलमेंट की नकल प्रदर्श-9 पेश किये है तथा साक्ष्य वादी में वादी रामप्रसाद का शपथ पत्र पेश कर बयान लेखबद्ध किये गये है।

4. बहस अधिवक्ता पक्षकारान सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादग्रस्त आराजीयात वादी की पुश्तैनी आराजी है। जो प्रतिवादी संख्या 1 को स्व0बोदू की विरासत से प्राप्त हुई है । वादी का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान अनुसार स्व0 बोदू पुत्र सुखदेव के परिवार में जन्म लेते ही बाई बर्थ अधिकार उत्पन्न हो गये है। इस प्रकार उक्त विवादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी को पैतृक प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी को धमकी दी कि वह उक्त पुश्तैनी आराजीयात को भू-माफिया लोगो को बेचान करके वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ल0 06 को उनके कब्जे काश्त से बेदखल कर देगा। इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन व बहस मनन से स्पष्ट होता है कि उक्त विवादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान के अनुसार हक हिस्सा है। जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का हक हिस्सा है। उक्त आराजीयात में वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 का हक हिस्सा निहित है उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जाती है कि आराजी ख0नं0 383 रकबा 0.0506 गै0मु0 चाह हैक्टैयर, खसरा नम्बर 391 रकबा 3.4521 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 490/387 रकबा 0.2529 हैक्टैयर किता 3 कुल रकबा 3.7556 हैक्टैयर वाके ग्राम कोढी , पटवार हल्का डूयोढी में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से में वादी संख्या 1 को 1/14 , प्रतिवादी संख्या 2लगायत 6 प्रत्येक को 1/14 , 1/14 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/14 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा आराजी खसरा नम्बर 384 रकबा

सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

1.58065 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 दर्ज हिस्से में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ल0 6 प्रत्येक को 1/7, 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तह0 कि0रेनवाल को आदेश प्रदान किये जाते है। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 27/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनिता मीणा)RAS
उपखण्ड अधिकारी
कि0रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल
सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल

बइजलास :– सुनिता मीणा आर.ए.एस.

1. रामप्रसाद पुत्र मूला जाति अहीर निवासी करोडीवालो की ढाणी कोढी तहसील कि0 रेनवाल ।

प्रार्थी

बनाम

1. मूला पुत्र बोदू जाति कुम्हार
2. मुकेश पुत्र मूला जाति कुम्हार
3. छोटूराम पुत्र मूला जाति कुम्हार
   समस्त निवासी करोडीवालो की ढाणी कोढी तहसील कि0 रेनवाल
4. सावित्री पुत्री मूला पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी पानी वाली ढाणी पो0 बेगस वाया बगरू जिला जयपुर
5. मंजू पुत्री मूला पत्नि रमेश जाति कुम्हार निवासी पानी वाली ढाणी पो0 बेगस वाया बगरू जिला जयपुर
6. चन्दू पुत्री मूला पत्नि रामलाल जाति कुम्हार निवासी बबेरवालो की ढाणी जोबनेर जिला जयपुर राज0
7. तहसीलदार तहसील कि0 रेनवाल।
8. सब रजिस्ट्रार कि0 रेनवाल।

वाद बाबत घोषणा खातेदारी व दुरुस्ती इन्द्राज

वाद सं0 92 / 2022 पुराना, 288 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू श्री लक्ष्मण सिंह व हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान............ मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी सं0 01 डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जाती है कि आराजी ख0नं0 383 रकबा 0.0506 गै0मु0 चाह हैक्टेयर, खसरा नम्बर 391 रकबा 3.4521 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 490 / 387 रकबा 0.2529 हैक्टैयर किता 3 कुल रकबा 3.7556 हैक्टैयर वाके ग्राम कोढी , पटवार हल्का ड्योढी में प्रतिवादी संख्या 1 के 1 / 2 हिस्से में वादी संख्या 1 को 1 / 14 , प्रतिवादी सख्या 2लगायत 6 प्रत्येक को 1 / 14 , 1 / 14 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 को 1 / 14 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा आराजी खसरा नम्बर 384 रकबा 1.58065 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 दर्ज हिस्से में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ल0 6 प्रत्येक को 1/7, 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।निज ....–....... मुबलिग.......–......... बाबत्.....–...... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.........–........ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.......–........का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 06 सन् 2025 को जारी की गई।

(सुनिता मीणा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल
उपखण्ड अधिकारी
कि0रेनवाल

मुहर

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल
सत्यमेव जयते